



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-103

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 218196 दिनांक 21/04/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	VISHAKHA SHARMA W/o SUNIL SHARMA	श्रीमती मालुका पत्नी श्री लक्ष्मणराम	38	90.00 SQ. METER	JDA	KHUSAR VISTAR YOJANA Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	जविप्रा की योजना खूसर विस्तार के भूखण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का आवंटन सह मांग पत्र क्रमांक 99 दिनांक 20.02.2020 को श्रीमती मालुका पत्नी श्री लक्ष्मणराम के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती मालुका पत्नी श्री लक्ष्मणराम द्वारा श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा को दिनांक 08.02.2021 को रजिस्टर्ड मु.आम नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री सुनील कुमार शर्मा बहैसियत मु.आम श्रीमती मालुका द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
16.04.2025 के
द्वारा श्रीमती
विशाखा शर्मा
पत्नी श्री सुनील
कुमार शर्मा को
कर दिया गया है।
आवेदिका श्रीमती
विशाखा शर्मा
द्वारा उक्त
भूखण्ड की
लीजडीड जारी
किये जाने हेतु
आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. VISHAKHA SHARMA W/o SUNIL SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |